मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 07/03/2023

क्र. एफ 16-58/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स न्यू जील फैशन वेयर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम छायन तहसील बदनावर जिला धार (पूर्व में रतलाम-बाजना रोड, जिला रतलाम) पर स्थित अविकसित भूमि पर दो चरणों में लगभग रूपये 241.86 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से नवीन परिधान निर्माण इकाई स्थापना प्रस्ताव (DIPIP 2203210001) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 35 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात एवं रोजगार गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर उत्पादन प्रांरभ दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **रोजगार सृजन अनुदान-** इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 8 वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपये 5000 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह सहायता का लाभ दिया जाये। सहायता अवधि की अधिकतम सीमा 5 वर्ष होगी। यह सहायता इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि 8वें वर्ष में नियुक्त कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से शेष दो वर्षों हेतु रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी।

5. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - परियोजना में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी नवीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में रू. 13000 प्रति कर्मचारी की दर से 5 वर्षों हेतु की जाये।

6. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - परियोजना हेतु स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

7. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

8. **सुविधाओं की अधिकतम सीमा:-** इकाई को स्वीकृत समस्त सुविधायें परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जारी विभागीय आदेश दिनांक 09/04/2018 में निर्धारित अधिकतम सीमा तक प्राप्त होगी।

9. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-58/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 07/03/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/ ऊर्जा विभाग/ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला धार ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स न्यू जील फैशन वेयर प्रायवेट लिमिटेड, 196, Zeel Estate, Rajrajeshwari Compound, Sonale Village, Kalyan-Bhiwandi Road, Bhiwandi Thane, Maharashtra – 421302

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग